

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
"मंत्रालय"

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला - रायपुर

— — — 0 — — —  
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2019

क्रमांक एफ 2-31/2019/20-दो :: :: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के अधिनस्थ निम्नलिखित ग्रंथपाल (ई एवं टी संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम-5 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-


क्र0	कर्मचारियों का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री हरिनारायण साहू	शिक्षक ग्रंथपाल	शा.उ.मा.वि.मोहारा वि. ख. गुरुर जिला बालोद	शा.उ.मा.शा.राखी वि.ख. आरंग जिला रायपुर	स्वैच्छिक
2	श्री रवि कुमार यादव,	शिक्षक ग्रंथपाल	शास. नवीन क.उ.मा. वि. बटेना, धमतरी	शास. उ.मा.वि. नगर पालिका तिल्दा जिला रायपुर	स्वैच्छिक
3	श्री लेखराम यदुराज,	शिक्षक ग्रंथपाल	शा.उ.मा.वि.गोपालपुरी, वि.ख. व जिला धमतरी	शास. उ.मा.वि. चंगोराभाठा जिला रायपुर	स्वैच्छिक
4	श्रीमती कविता सिंह	शिक्षक ग्रंथपाल	शा.उ.मा.वि. मेण्डाकला वि.खं. अम्बिकापुर जिला सरगुजा	शास. उ.मा.वि. सिल्ली वि.खं. पाली जिला कोरबा	स्वैच्छिक
5	श्रीमती ममता यादव	ग्रंथपाल	शा.बालक उ.मा.वि. करजी अम्बिकापुर सरगुजा	शा.क.उ.मा.वि.मणिपुर/उ. मा.वि.केदापुर सरगुजा	स्वैच्छिक
6	श्री मधुकांत गायकवाड़	ग्रंथपाल	शास.उ.मा.वि. चौरेल, जिला बालोद	शास.उ.मा.वि. कोमाखान, जिला महासमुंद	स्वैच्छिक

2/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल-जिला में पदस्थ न हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

क्रमशः.....

- 4/ संबंधित कर्मचारी उक्त स्थानान्तरण आदेश से व्यथित हो, तो वह जारी आदेश तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- 5/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
( ई.आर.कपाले )  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक एफ 2-31/2019/20-दो

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षक संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
3. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर रायपुर।
4. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय शिक्षा-----
5. संबंधित कलेक्टर - जिला-----
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी -----
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी -----
8. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी-----
9. संबंधित प्राचार्य-----
10. सर्व संबंधित -----
11. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।  
गार्ड फाईल ।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग